[2018] 5 एस. सी. आर. 325

के के मिश्रा

वी.

मध्य प्रदेश और ए. एन. आर. का राज्य।

(2018 की आपराधिक अपील संख्या 547)

अप्रैल 13,2018

[रंजन गोगोई, आर. भानुमती और

मोहन एम. शांतनागौदर, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - s.199 (2) और (4)

अभियोजन मामला कि अपीलार्थी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानिकारक बयान दिए

-

लोक अभियोजक यू/एस द्वारा शिकायत दायर की गई थी। 199 (2) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी मिलने के बाद

उसी दिन-अपीलार्थी ने यू/को दोषी ठहराया s.500 विशेष न्यायाधीश, विचारण न्यायालय द्वारा आई. पी. सी.-उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित उसी के खिलाफ अपील-अपीलार्थी ने यू/के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही की स्थिरता को भी चुनौती दी। s.199 (2), जिसे उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः कथित रूप से मानहानिकारक बयानों में से कोई भी, भले ही अपीलार्थी द्वारा दिए गए होने की बात स्वीकार की गई हो, को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा या उनके कार्यालय द्वारा सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन के साथ कोई उचित संबंध नहीं कहा जा सकता है-ऐसे बयान मानहानिकारक हो सकते हैं लेकिन फिर उनके और सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन के बीच सांठगांठ के अभाव में, उपाय यू / s.199 (2) और (4) Cr.P.C. उपलब्ध नहीं होगा-- लोक अभियोजक की प्रतिपरीक्षा के उद्धरण से, यह स्पष्ट है कि लोक अभियोजक ने उन सामग्रियों की उनके द्वारा किसी भी जांच के अभाव को स्वीकार किया था जिन पर अभियोजन शुरू करने की मांग की गई थी-लोक अभियोजक ने आगे स्वीकार किया कि उन्होंने शिकायत दर्ज की थी

राज्य सरकार के आदेश पर अभियुक्त अपीलार्थी के विरुद्ध

एक लोक अभियोजक यू/एस शिकायत दर्ज कर रहा है। 199 (2) Cr.P.C. बिना

उचित संतुष्टि कि शिकायत में सामग्री/आरोप किसी प्राधिकरण के खिलाफ या किसी सार्वजनिक पदाधिकारी के खिलाफ अपराध का खुलासा करते हैं

जो राज्य के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, उन सिद्धांतों के लिए घृणित होगा जिनके आधार पर विशेष प्रावधान किया गया है। यू / s.199 (2) और (4) Cr.P.C. को संरचित किया गया है-इसलिए, शिकायत बनाए रखने योग्य नहीं है-नतीजतन, ट्रायल कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर दिया गया है।

और उच्च न्यायालय में लंबित अपील भी बंद हो गई-दंड संहिता, 1860-- s.500-भारत का संविधान-कला। 142 .

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. यदि कथित रूप से मानहानिकारक बयान, संबंध में

जिनमें से लोक अभियोजक को धारा 199 (2) Cr.P.C के तहत अपीलार्थी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मंजूरी दी गई है, राज्य सरकार के आदेश द्वारा सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए, उक्त बयानों में से किसी को भी, भले ही अपीलार्थी द्वारा दिए जाने की बात स्वीकार की गई हो, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा या उनके कार्यालय द्वारा सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन के साथ कोई उचित संबंध नहीं कहा जा सकता है। जिस क्षेत्र/स्थान से माननीय मुख्यमंत्री की पत्नी संबंधित है, वहां से व्यक्तियों की नियुक्ति और माननीय मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों द्वारा फोन कॉल करने का माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय द्वारा या सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन के साथ कोई उचित संबंध नहीं है।

धारा 199 Cr.P.C की उप-धारा (6) के प्रावधान, अर्थात माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सामान्य न्यायालय के समक्ष शिकायत, अर्थात मजिस्ट्रेट का न्यायालय जो उपलब्ध होगा और जिसका सहारा लिया जा सकता था। [पैरा 11] [321-जी-एच; 322-ए-सी]

2. लोक अभियोजक की प्रतिपरीक्षा से, यह स्पष्ट है कि लोक अभियोजक ने अनुपस्थिति को स्वीकार किया था उन सामग्रियों की उसके द्वारा कोई जांच, जिन पर अभियोजन शुरू करने की मांग की गई है। वास्तव में, लोक अभियोजक ने इस हद तक स्वीकार किया था कि उसने राज्य सरकार के आदेश पर अभियुक्त अपीलार्थी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। [पैरा 13] [323-ए-बी]

3. लोक अभियोजक की अपनी प्रतिपरीक्षा में गवाही प्रभावी रूप से दर्शाती है कि

धारा 199 (2) और 199 (4) Cr.P.C द्वारा उल्लिखित आवश्यकता, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा सुब्रमण्यम स्वामी में व्याख्या की गई है, का वर्तमान मामले में पालन नहीं किया गया है। धारा 199 (2) Cr.P.C के तहत शिकायत दर्ज करने वाला लोक अभियोजक बिना इस संतोष के कि शिकायत में सामग्री/आरोप किसी प्राधिकरण के खिलाफ या किसी सार्वजनिक पदाधिकारी के खिलाफ अपराध का खुलासा करते हैं जो राज्य के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, के. के. मिश्रा बनाम के. के. मिश्रा के लिए घृणित होगा।

मध्य प्रदेश और ए. एन. आर. का राज्य।

जिन सिद्धांतों के आधार पर धारा 199 (2) और 199 (4) Cr.P.C के तहत विशेष प्रावधान की संरचना की गई है।

पी. सी. जोशी और सुब्रमण्यम स्वामी में अदालत। लोक अभियोजक

दंड प्रक्रिया संहिता के तहत वैधानिक योजना के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसे एक स्वतंत्र व्यक्ति माना जाता है और अपने सामने रखी गई सामग्री पर अपना दिमाग लगाना चाहिए। [पैरा 14] [324-ए-डी]

4. वर्तमान मामले में, प्रेस बैठक द्वारा बुलाई गई थी

अपीलार्थी। कुछ दिनों के बाद, सरकार ने लोक अभियोजक को अपीलार्थी के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 500 के तहत शिकायत दर्ज करने की मंजूरी दे दी। जैसा कि अभिलेखों से देखा गया है, लोक अभियोजक द्वारा अपीलार्थी के खिलाफ उसी दिन शिकायत दर्ज की गई थी। जिस जल्दबाजी में शिकायत दर्ज की गई थी

प्रथम दृष्टया इंगित करता है कि लोक अभियोजक ने अपने सामने रखी गई सामग्री पर अपना दिमाग नहीं लगाया होगा जैसा कि बैराम मुरलीधर मामले में हुआ था। इसलिए, शिकायत नहीं है

इसके बावजूद इसे बनाए रखा जा सकता है और यह हस्तक्षेप के योग्य होगा। अभियोजन की शुरुआत ही पाई गई है कानून में असमर्थनीय। [पैरा 14,15] [324-ई-एच]

पी. सी. जोशी और एक अन्य वी. उत्तर प्रदेश राज्य

ए. आई. आर 1961 एस. सी 387: [1961] एस. सी. आर. 63; उर्मिला देवी बनाम

युद्धवीर सिंह (2013) 15 एससीसी 624: [2013] 16 एससीआर

542 ; सुब्रमण्यम स्वामी बनाम। भारत संघ (2016) 7

एससीसी 221: [2016] 3 एस. सी. आर. 865; बैराम मुरलीधर बनाम।

आंध्र प्रदेश राज्य (2014) 10 एससीसी 380: [2014]

8 एस. सी. आर. 328-पर निर्भर।

मामला कानून संदर्भ

[1961] एससीआर 63

उस पर भरोसा करें

पैरा

8

[2013] 16 एससीआर 542

उस पर भरोसा करें

पैरा

10

[2016] 3 एससीआर 865

उस पर भरोसा करें

पैरा

12

[2014] 8 एससीआर 328

उस पर भरोसा करें

पैरा

12

आपराधिक अपील

न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं।

547 2018 से।

उच्च न्यायालय के 24.07.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2017 के सी. आर. आर. सं. 515 में जबलपुर में एम. पी. की प्रधान सीट।

[20

18] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

के. टी. एस. तुलसी, विवेक तन्खा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , वैभव श्रीवास्तव, कुबेर

बोध, प्रतीक खंडेलवाल, अमन पांडे, सिद्धांत, कबीर दीक्षित, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

पी. एस. नरसिम्हा, ए. एस. जी., पुरुषेंद्र कौरव, अधिवक्ता। जनरल। , मिश्रा

सौरभ, ए. ए. जी., मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, बी. एन. दुबे, अंकित के. लाल, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

रंजन गोगोई, जे. 1. छुट्टी दे दी गई। 2. विवादित आदेश द्वारा, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद के रूप में संदर्भित) की धारा 199 (2) के तहत स्थापित आपराधिक अभियोजन/कार्यवाही की स्थिरता के लिए अपीलार्थी द्वारा की गई चुनौती को नकार दिया है।

" Cr.P.C.) मध्य प्रदेश राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद "आई. पी. सी". के रूप में संदर्भित) की धारा 499 और 500 के तहत अपराध करने का आरोप लगाते हुए। द.

लोक अभियोजक द्वारा उसी दिन यानी 24 जून, 2014 को राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद 24 जून, 2014 को जिला और सत्र न्यायाधीश, भोपाल (मध्य प्रदेश) के समक्ष शिकायत दर्ज की गई है।

3. शुरुआत में, हम यह दर्ज करना आवश्यक समझते हैं कि

वर्तमान कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान अभियुक्त अपीलार्थी के खिलाफ अभियोजन विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भोपाल, मध्य प्रदेश द्वारा 2014 के सत्र परीक्षण No.573 में 17 नवंबर, 2017 के निर्णय और आदेश द्वारा समाप्त किया गया है। अभियुक्त अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 500 के तहत दंडनीय अपराध करने का दोषी पाया गया है और तदनुसार, उसे दो साल के लिए साधारण कारावास और 1,000/- (बीस हजार रुपये) के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। हमें बार में बताया गया है कि उक्त आदेश के खिलाफ एक अपील वर्तमान में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में लंबित है और आरोपी अपीलार्थी वर्तमान में जमानत पर है।

थ.

4. इस स्तर पर, हम अपने 5 तारीख के आदेश को दोहराना चाहेंगे।

जनवरी, 2018 में यह दोहराते हुए कि अभियुक्त अपीलार्थी की दोषसिद्धि के बावजूद, यह न्यायालय अपीलार्थी के खिलाफ अभियोजन की शुरुआत की वैधता के सवाल पर विचार करना चाहेगा।

5. जबकि आई. पी. सी. की धारा 499 मानहानि के अपराध को परिभाषित करती है और उससे संबंधित है, उक्त अपराध के लिए सजा आई. पी. सी. की धारा 500 द्वारा प्रदान की जाती है। वर्तमान मामले में, मध्य प्रदेश राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का कथित अपराध,

अभियोजन पक्ष, अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माननीय मुख्यमंत्री के संबंध में दिए गए कुछ बयानों के कारण किया गया है जिसे अपीलार्थी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मध्य प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता के रूप में संबोधित किया था।

सेंट

21 जून, 2014 को मध्य प्रदेश कांग्रेस समिति, 1461 इंद्र भवन शिवाजी नगर, भोपाल में आयोजित किया गया।

6. यद्यपि प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रतिलिपि, जिसे रिकॉर्ड में रखा गया है, को पढ़ने से कई कृत्यों और घटनाओं के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री के संदर्भ का संकेत मिल सकता है, लेकिन वर्तमान मामले के उद्देश्यों के लिए हमें अनिवार्य रूप से, माननीय मुख्यमंत्री के संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कथित रूप से दिए गए केवल तीन बयानों तक ही सीमित रहना होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि धारा 199 (2) Cr.P.C के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए 24 जून, 2014 को मंजूरी/अनुमति देने वाले आदेश में केवल उपरोक्त तीन बयानों को मानहानिकारक माना गया है और इसलिए, Cr.P.C की धारा 199 (2) के तहत मंजूरी/अनुमति देने के उद्देश्य से संज्ञान लिया गया है। मंजूरी/अनुमति देने वाले 24 जून, 2014 के आदेश में उल्लिखित तीन बयान इस प्रकार हैं:

" 1. 19 मध्य प्रदेश में नियुक्त परिवहन निरीक्षण में ससुराल गोंदिया (महाराष्ट्र) से हैं।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान।

2. मुख्यमंत्री श्री के मामा फूलसिंह चौहान के पुत्र संजय चौहान के मोबाइल से व्यापमं घोटाले के अभियुक्त व्यक्तियों के साथ बातचीत की गई है। शिवराज

सिंह चौहान।

3. मुख्यमंत्री के घर से एक प्रभावशाली महिला ने 139 फोन कॉल के माध्यम से व्यापमं घोटाले के आरोपी नितिन महेंद्र, पंकज त्रिवेदी, लक्ष्मीकांत शर्मा से बातचीत की है।

7. धारा 199 (2) Cr.P.C. मानहानि के अपराध के लिए अभियोजन शुरू करने के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया का प्रावधान करती है। उसमें उल्लिखित संवैधानिक अधिकारियों और लोक सेवकों के विरुद्ध। हालाँकि, कथित अपराध [2018] 5 एस. सी. आर. होना चाहिए।

के सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में कार्यों/आचरण के संबंध में

संबंधित पदाधिकारी या लोक सेवक, जो भी हो। धारा 199 (2) Cr.P.C के तहत अभियोजन सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी की प्राप्ति पर लोक अभियोजक द्वारा शुरू किया जाना आवश्यक है।

संहिता की धारा 199 (4) के तहत राज्य/केंद्र सरकार में। ऐसी शिकायत सत्र न्यायालय में दायर की जानी आवश्यक है जो कथित अपराध की सुनवाई और मुकदमा चलाने के लिए अकेले अधिकार क्षेत्र में निहित है और यहां तक कि मामले को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त न्यायालय को सौंपे बिना भी।

धारा 199 (2) Cr.P.C. धारा 199 (4) Cr.P.C के साथ पठित, इसलिए, प्रभावित व्यक्तियों द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत शुरू करने के सामान्य नियम से अलग होने की परिकल्पना की गई है।

मानहानि। तथापि, उक्त अधिकार धारा 199 Cr.P.C की उप-धारा (6) में उल्लिखित व्यक्तियों की श्रेणी के मामलों में भी सुरक्षित है।

8. सामान्य नियम से हटने के तर्क पर इस न्यायालय द्वारा पी. सी. जोशी और एक अन्य बनाम में काफी पुराने फैसले में विस्तार से विचार किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य 1 [पैराग्राफ 9]। इस न्यायालय ने धारा 199 (2) Cr.P.C द्वारा तैयार की गई विशेष प्रक्रिया का मूल कारण यह माना कि यह अपराध है।

उसमें उल्लिखित अधिकारियों के खिलाफ की गई मानहानि वास्तव में राज्य के खिलाफ किया गया अपराध है क्योंकि यह ऐसे अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन से संबंधित है। इसलिए, राज्य अभियोजन को आगे बढ़ाने में उचित रूप से रुचि रखेगा; इसलिए विशेष प्रावधान और विशेष प्रक्रिया। तथापि, पी. सी. जोशी (उपर्युक्त) ने विशेष रूप से दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 ("पुरानी संहिता") की धारा 198 बी के प्रावधानों पर विचार किया जो Cr.P.C ("नई संहिता") की धारा 199 के प्रावधानों के समान हैं।

9. उपरोक्त के लिए न्यायालय को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता होगी कि क्या अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयान जिन्हें 24 जून, 2014 के आदेश में मंजूरी/अनुमति देने पर ध्यान दिया गया है, उन्हें वैध रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है या

माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय के सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन से संबंधित। दूसरे शब्दों में, क्या उक्त बयानों का माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के साथ कोई उचित संबंध है।

ए. आई. आर. 1961 एससी 387 के. के. मिश्रा बनाम। मध्य प्रदेश और ए. एन. आर. का राज्य। [रंजन गोगोई, जे।]

सार्वजनिक पद किसी भी तरह से एक आसान काम नहीं है। धारा 199 (4) Cr.P.C के तहत अनुध्यात मंजूरी, हालांकि विपरीत संदर्भ में, एक लोक सेवक के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए एक अपराधी पर मुकदमा चलाने के लिए, धारा 197 Cr.P.C द्वारा अनुध्यात मंजूरी के संदर्भ में समझी जा सकती है, जो एक लोक सेवक के अभियोजन के लिए मंजूरी से संबंधित है। दोनों मामलों में मंजूरी के समझौते के लिए आवश्यक पूर्ववर्ती शर्तों के बीच काफी समानता है, हालांकि संदर्भ अलग हो सकता है, वास्तव में, विपरीत। इस न्यायालय ने उर्मिला में धारा 197 Cr.P.C के तहत मंजूरी की आवश्यकता पर विचार करते हुए देवी बनाम युद्धवीर सिंह 2 ने निम्नलिखित दृष्टिकोण अपनाया था जिसकी वर्तमान मामले में कुछ प्रासंगिकता हो सकती है।

" 59."आधिकारिक कर्तव्य" अभिव्यक्ति किसी भी वैधानिक परिभाषा के अभाव में, इसलिए, एक ऐसे कर्तव्य को दर्शाती है जो किसी व्यक्ति द्वारा धारण किए गए पद या न्यास या प्राधिकरण की स्थिति के कारण उत्पन्न होता है। यह इस प्रकार है कि हर मामले में जहां सवाल यह है कि क्या

अभियुक्त अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा था या विचार के लिए उत्पन्न होने वाले ऐसे कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करने का इरादा रखता था, न्यायालय पहले इस बात की जांच करेगा कि क्या अभियुक्त किसी पद पर था और यदि ऐसा है, तो ऐसे किसी पद के धारक के रूप में उस पर लगाए गए कर्तव्यों की प्रकृति क्या थी। यह केवल तब होता है जब लोक सेवक पर लगाए गए कर्तव्यों की प्रकृति और अपराध का गठन करने वाले अधिनियम के बीच प्रत्यक्ष और उचित संबंध होता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत संरक्षण उपलब्ध हो सकता है और अन्यथा नहीं। सिर्फ इसलिए कि आरोपी लोक सेवक है, पर्याप्त नहीं है। एक लोक सेवक के रूप में उसके कर्तव्यों और शिकायत किए गए कार्यों के बीच एक उचित संबंध यह निर्धारित करेगा कि क्या वह अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था या ऐसा करने का इरादा रखता था, भले ही कार्य संहिता की धारा 197 के तहत उस अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर एक लोक सेवक के रूप में उसे दिए गए आदेश से अधिक थे।

11. यदि कथित रूप से मानहानिकारक बयान, जो पहले ही निकाले जा चुके हैं, जिनके संबंध में लोक अभियोजक को मंजूरी दी गई है धारा 199 (2) Cr.P.C के तहत अपीलार्थी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए. 24 जून, 2014 के आदेश द्वारा सावधानीपूर्वक देखा जाना चाहिए, हमारे अनुसार, उक्त बयानों में से कोई भी, भले ही स्वीकार किया गया हो

अपीलार्थी द्वारा किया गया है, यह कहा जा सकता है कि कोई उचित है

2 (2013) 15 एस. सी. सी. 624 [2018] 5 एस. सी. आर.

फिर उसी और निर्वहन के बीच एक संबंध की अनुपस्थिति में कार्यालय के सार्वजनिक कर्तव्यों, धारा 199 (2) और 199 (4) Cr.P.C के तहत उपाय उपलब्ध नहीं होंगे। यह धारा 199 Cr.P.C की उप-धारा (6) के प्रावधानों द्वारा सहेजा गया उपाय है. अर्थात, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सामान्य न्यायालय यानी मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष एक शिकायत जो उपलब्ध होगी और जिसका सहारा लिया जा सकता था।

12. इस मामले में एक और आयाम है। सुब्रमण्यन में

स्वामी बनाम। भारत संघ 3 जिन आधारों पर इस न्यायालय द्वारा आई. पी. सी. की धारा 499 और 500 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी, उनमें से एक यह समझ थी कि धारा 199 (2) और 199 (4) एक अंतर्निहित सुरक्षा प्रदान करती है जिसके लिए लोक अभियोजक को उन सामग्रियों को स्कैन करने और संतुष्ट करने की आवश्यकता होती है जिनके आधार पर लोक अभियोजक के रूप में कार्य करते हुए उसके द्वारा मानहानि की शिकायत दायर की जानी है। इस संबंध में, बैराम मुरलीधर बनाम में इस न्यायालय का एक पूर्व निर्णय। आंध्र प्रदेश राज्य ने धारा 321 Cr.P.C (अर्थात अभियोजन से वापसी) पर विचार करते समय इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया था और यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः

" ..... आम तौर पर यह उम्मीद की जाती है कि लोक अभियोजक के पास एक

बैराम मुरलीधर बनाम एपी राज्य में न्यायालय [(2014) 10 एससीसी 380] सी. आर. पी. सी. की धारा 321 पर विचार-विमर्श करते हुए राय दी है कि

लोक अभियोजक की ओर से डाकघर की तरह कार्य नहीं कर सकता है

राज्य सरकार। उसे सद्भावना से कार्य करने की आवश्यकता है,

अभिलेख पर सामग्री और एक स्वतंत्र राय बनाते हैं। यह आगे

यह देखा गया कि वह अपने वैध दायित्वों से अनजान नहीं रह सकता है

संहिता के तहत और लगातार अपने कर्तव्य को याद रखना आवश्यक है

न्यायालय के साथ-साथ सामूहिक के प्रति उनका कर्तव्य। दाखिल करते समय

आई. पी. सी. की धारा 499 और 500 के तहत मामले, उनसे बनाए रखने की उम्मीद है वह स्वतंत्रता और एक मशीन के रूप में कार्य नहीं करती है। ”

(रेखांकित करना हमारा है)

3 3 (2016) 7 एससीसी 221

4 (2014) 10 एस. सी. सी. 380 मिश्रा बनाम

मध्य प्रदेश और ए. एन. आर. का राज्य। [रंजन गोगोई, जे।]

13. विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में, पब्लिक क्यूटर जिसने धारा 199 (2) Cr.P.C. oss के तहत शिकायत प्रस्तुत की थी, ने अभियुक्त अपीलार्थी की ओर से जाँच की। लोक अभियोजक की प्रतिपरीक्षा के प्रासंगिक टी से, जो उद्धृत किया गया है, हमारे लिए यह स्पष्ट है कि लोक अभियोजक ने उन सामग्रियों की अनुपस्थिति जांच को स्वीकार किया था जिन पर अभियोजन की मांग की गई है। वास्तव में, लोक अभियोजक इस हद तक गया था कि उसने राज्य सरकार के आदेशों के तहत अभियुक्त अपीलार्थी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। का प्रासंगिक उद्धरण

लोक अभियोजन की जाँच निम्नानुसार हैः

XXX 7.3.2015

" 47. यह कहना सही है कि मैंने कोई प्रस्ताव नहीं दिया है।

सरकार के लिए लोक अभियोजक की क्षमता कि मैं इस संबंध में श्री के. के. मिश्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहता हूं

मानहानिकारक बयान देने के साथ। यह कहना सही है कि मैंने लोक अभियोजक की आधिकारिक क्षमता में वर्तमान मामला दायर किया है। यह कहना सही है कि मैंने सरकार की ओर से (स्वेच्छा से कहने के लिए) वर्तमान शिकायत दर्ज नहीं की है कि मैंने एक लोक अभियोजक होने के नाते उपरोक्त मामला दायर किया है। यह कहना सही है कि सरकार के आदेश पर मैंने शिकायत दर्ज कराई है। अगर सरकार ने मुझे निर्देश नहीं दिया होता, तो मैं लोक अभियोजक के रूप में शिकायत दर्ज नहीं करता।

48. XXXXXXXXX 49. XXXXXXXXX

50. अनुमति प्राप्त करने से पहले, मैंने कोई दस्तावेज नहीं देखा है और इस बात पर विचार नहीं किया है कि शिकायत दर्ज की जानी है या नहीं। यह कहना सही है कि मैंने इस तथ्य के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री थे और श्री शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में तैनात किया गया था।

प्रेस की तारीख पर मध्य प्रदेश सरकार सम्मेलन (स्वेच्छा से कहें कि) अभियुक्त ने स्वयं श्री शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के रूप में संबोधित करते हुए सभी आरोप लगाए हैं।

51. यह कहना सही है कि शिकायत दर्ज करने से पहले, मैंने इस [2018] 5 एस. सी. आर. के संबंध में अभियुक्त को कोई कानूनी नोटिस नहीं दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तथ्य यह है कि क्या माननीय के खिलाफ आपत्तियां उठाई गई थीं

संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री हों या न हों।

14. अपने क्रूस में लोक अभियोजक की गवाही

जाँच प्रभावी रूप से दर्शाती है कि धारा 199 (2) और 199 (4) Cr.P.C द्वारा वर्णित संपूर्ण आवश्यकता, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा सुब्रमण्यम स्वामी (उपरोक्त) में समझाया गया है, का वर्तमान मामले में पालन नहीं किया गया है। धारा 199 (2) Cr.P.C के तहत शिकायत दर्ज करने वाला लोक अभियोजक बिना इस संतोष के कि शिकायत में सामग्री/आरोप किसी प्राधिकरण के खिलाफ या किसी सार्वजनिक पदाधिकारी के खिलाफ अपराध का खुलासा करते हैं जो राज्य के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, उन सिद्धांतों के लिए घृणित होगा जिनके आधार पर धारा 199 (2) और 199 (4) Cr.P.C के तहत विशेष प्रावधान की संरचना की गई है जैसा कि इस अदालत ने पी. सी. जोशी (उपरोक्त) और सुब्रमण्यम स्वामी (उपर्युक्त) में अभिनिर्धारित किया है। आपराधिक के तहत वैधानिक योजना के संदर्भ में लोक अभियोजक प्रक्रिया संहिता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसे एक स्वतंत्र व्यक्ति माना जाता है और पहले रखी गई सामग्री पर अपना दिमाग लगाना चाहिए।

उसे। जैसा कि बैराम मुरलीधर्मसूत्र में आयोजित किया गया है)

..... वह संहिता के तहत अपने कानूनी दायित्वों से अनजान नहीं रह सकता है। उसे लगातार अपने कर्तव्य को याद रखना आवश्यक है

अदालत के साथ-साथ सामूहिक के प्रति उसका कर्तव्य "।

वर्तमान मामले में, प्रेस बैठक अपीलार्थी द्वारा 21.06.2014 पर बुलाई गई थी। सरकार ने जनता को मंजूरी दी

अभियोजक 24.06.2014 पर अपीलार्थी के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 500 के तहत शिकायत दर्ज करेगा। जैसा कि अभिलेखों से देखा गया है, लोक अभियोजक द्वारा अपीलार्थी के खिलाफ उसी दिन शिकायत दर्ज की गई थी।

24.06.2014 . वह जल्दबाजी जिसके साथ शिकायत प्रथम दृष्टया दर्ज की गई थी यह इंगित करता है कि लोक अभियोजक ने अपने सामने रखी गई सामग्री पर अपना दिमाग नहीं लगाया होगा जैसा कि बैराम मुरलीधर मामले में माना गया था

(ऊपर)। इसलिए, हम बिना किसी हिचकिचाहट के यह विचार रखते हैं कि शिकायत इसके बावजूद बनाए रखने योग्य नहीं है और हम इसके हकदार हैं।

हस्तक्षेप।

15. जैसा कि ऊपर बताया गया है, हमारे द्वारा किए गए निष्कर्षों पर, अभियुक्त अपीलार्थी की दोषसिद्धि और अधिरोपित सजा

खड़े होने के लिए पैर नहीं होंगे। अभियोजन की शुरुआत को ही हमने कानूनी रूप से असमर्थनीय पाया है। केवल इसलिए कि मुकदमा समाप्त हो गया है और अपीलार्थी की दोषसिद्धि में समाप्त हो गया है और मामला वर्तमान में अपील में उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, के. के. मिश्रा बनाम में नहीं आना चाहिए।

मध्य प्रदेश और ए. एन. आर. का राज्य। [रंजन गोगोई, जे।]

भारत से। नतीजतन, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं; पंजीकृत और सत्र सत्र के रूप में गिने गए विवादित अभियोजन/कार्यवाही को रद्द कर दें। 2014 का मुकदमा No.573 और 2014 के सत्र परीक्षण No.573 में विद्वान विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भोपाल, मध्य प्रदेश द्वारा पारित 17 नवंबर, 2017 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें अभियुक्त अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 500 के तहत दोषी ठहराया गया और उसे उपरोक्त के रूप में सजा सुनाई गई। आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में लंबित अपील

विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भोपाल, मध्य प्रदेश द्वारा 2014 के सत्र परीक्षण No.573 में पारित दिनांक 17 नवंबर, 2017 भी वर्तमान आदेश के संदर्भ में बंद रहेगा। जमानत बांड, यदि कोई हो तो उसी के अनुसार जारी किया जाएगा।

16. उपरोक्त शर्तों में अपील की अनुमति है।

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।